**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2156**

**दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

जलापूर्ति पाइपलाइनों की मरम्मत

2156. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री देवजी एम॰ पटेलः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या उन जगहों पर जहां बोर–पम्प और हैंड–पम्प नहीं काम कर रहे है स्वच्छ पेय जल पहुंचाना कठिन है तथा महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश में जलापूर्ति पाइपलाइनों को मरम्मत करने की जरूरत है;
(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश में ऐसे बोर–पम्प और जलापूर्ति पाइपलाइनों की संख्या कितनी है जो मरम्मत नहीं होने के कारण चालू नहीं है;
(ग) बोर–पम्प, हैंड–पंपों और पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए कितनी राशि आबंटित और खर्च की गई है;
(घ) क्या सरकार का बोर–पम्प, हैंड–पम्प और जलापूर्ति पाइप लाइनों की मरम्मत के लिए ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार द्वारा बजट आबंटित किया गया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या हैं?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय**

**(श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) और (ख) जल राज्य का विषय है और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जब वर्तमान आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से सुरक्षित पीने योग्य जल उपलब्ध कराना मुश्किल होता है तो राज्य सरकारें, सामान्यतः, टैंकरों और अन्य माध्यमों से जलापूर्ति उपलब्ध कराने जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करती हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय आधारभूत संरचना की क्रियात्मकता के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण पेजयल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत यह मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के कवरेज में सुधार हेतु राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों को पूरा करता है। मौजूदा एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति ढांचों के प्रचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(घ) से (च) कवरेज घटक के तहत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के 5% तक का उपयोग प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन जैसी सहायता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2018-19 के लिए कवरेज घटक हेतु राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

**अनुलग्नक**

**दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2156 के उत्तर के भाग (घ से च) में उल्लिखित अनुलग्नक**

| वर्ष 2018-19 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत राज्य-वार रिलीज | | |
|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपए में) |
| **क्र. सं.** | **राज्य** | **रिलीज** |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.31 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 185.85 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 90.89 |
| 4 | असम | 300.76 |
| 5 | बिहार | 234.84 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 48.19 |
| 7 | गोवा | 1.67 |
| 8 | गुजरात | 222.27 |
| 9 | हरियाणा | 76.76 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 85.43 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | 249.34 |
| 12 | झारखंड | 85.12 |
| 13 | कर्नाटक | 276.06 |
| 14 | केरल | 84.86 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 243.62 |
| 16 | महाराष्ट्र | 239.06 |
| 17 | मणिपुर | 37.73 |
| 18 | मेघालय | 49.15 |
| 19 | मिजोरम | 26.25 |
| 20 | नागालैंड | 17.36 |
| 21 | ओडिशा | 128.82 |
| 22 | पुडुचेरी | 0 |
| 23 | पंजाब | 119.41 |
| 24 | राजस्थान | 655.41 |
| 25 | सिक्किम | 10.89 |
| 26 | तमिलनाडु | 167.31 |
| 27 | तेलंगाना | 123.18 |
| 28 | त्रिपुरा | 51.73 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 670.72 |
| 30 | उत्तराखंड | 92.97 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 890.28 |
| **कुल** | | **5,466.24** |